<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1735 वर्ष 2022

रवि उम्र बालिग पुत्र श्री रोशन लाल,
निवासी–ग्राम रतनपुरा थाना गदरपुर
जिला–उधम सिंह नगर।

बनाम

सरकार

धारा–147,148,149,304,323,325,506 भा0दं0सं0
थाना–गदरपुर
एफ0आई0आर0 नं0–245 वर्ष 2021
सत्र परीक्षण संख्या–196/2021

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–श्री हरप्रीत सिंह
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री दीपक अरोरा,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

<u>दिनांक 13.10.2022</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त रवि की ओर से प्रश्नगत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, एफ0आई0आर0 नम्बर–245 वर्ष 2021, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 304, 323, 325, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–गदरपुर, जिला–उधम सिंह नगर के मामले में बजरिये अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह द्वारा, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो वादिनी मुकदमा व उसके दवेर के साथ कोई मारपीट की और न ही अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा का दांत तोडा है और न ही कोई संघातिक चोट पहुंचाते हुए किसी भी प्रकार की धमकी दी गयी है तथा न ही अभियुक्त द्वारा किसी को मृत्यु कारित होने वाली चोट पहुंचायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामले से कोइ वास्ता सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में कतई गलत अभियुक्त बनाकर आरोपित किया गया है।

वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये बयानों में काफी विरोधाभाष है

और वादिनी मुकदमा द्वारा अभिकथित घटना की पुष्टि की है। उक्त मामले में जनता का कोई स्वतंत्र साखी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया उक्त धाराओं का कोई अपराध साबित नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.08.2021 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत कराना चाहता है और योग्य जमानती देने को तैयार है।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दीपक अरोरा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि दिनांक 03.08.2021 को समय करीब 7.30 बजे रात्रि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ एकराय होकर वादिनी मिथलेश व उसके देवर नरेश पर लाठी, डण्डों से सिर पर वार करके गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी। प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटों से वादिनी के देवर नरेश की दौरान ईलाज मृत्यु हो गयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में जमानत अभियुक्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

4. न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दीपक अरोरा को सुना एवं जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–दिनांक 03.08.2021 को रात्रि 7.30 बजे रोशन, रवि, शान्ति, पूनम, अंजली व संजली, श्यामलाल, शान्ति देवी आदि ने वादिनी के साथ मारपीट कर उसका दांत तोड दिया तथा वादिनी के देवर के साथ मारपीट की गयी, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया।

6. पत्रावली का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ एकराय होकर वादिनी श्रीमती मिथलेश व उसके देवर नरेश के साथ लाठी–उण्डों एवं लातघूसों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचायी गयी। प्रार्थी /अभियुक्त एवं सहअथियुक्तगण द्वारा

वादिनी के देवर नरेश को पहुंचायी गयी गम्भर चोटों के कारण ही दौराने ईलाज नरेश की मृत्यु हो गयी। इस घटना की चश्मदीद साक्षी वादिनी/चुटैल श्रीमती मिथलेश, श्रीमती मिन्टी मृतक नरेश की पत्नी श्रीमती रेखारानी, सीताराम व श्रीमती मन्जू ने अपने–अपने धारा 161 दं0प्र0सं के बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त तथा सहअभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर मृतक नरेश एवं वादिनी मिथलेश के साथ लाठी–डण्डों व लातघूसों से वार कर चोटें पहुंचाने का कथन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मानववध करने का जघन्य प्रकृति का अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे समाज में भय, डर व असुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

7. एतत् मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई विधि संगत आधार दर्शित नहीं होता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी व उसके देवर के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही वादिनी का दांत तोडा गया है और नही संघातिक चोटें पहुंचायी गयी हैं, यह तथ्य इस स्तर पर नहीं देखा जाना है, यह साक्ष्य का विषय है, ऐसे में गुणदोष पर राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई विधि संगत आधार नहीं है।

8. तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त रवि द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1735/2022, एफ0आई0आर0 संख्या–245/2021, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 304, 323, 325, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–गदरपुर, जिला–उधम सिंह नगर निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रवि द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1735/2022,एफ0आई0आर0 संख्या–245/2021, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 304, 323, 325, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–गदरपुर, जिला–उधम सिंह नगर, निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(रजनी शुक्ला)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।